433

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

69

क्रमांक प.3(50)नविवि / 3 / 2012पार्ट

जयपुर, दिनांक : 20.11.2012

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी के प्रावधानों की क्रियान्वति के संबंध में जारी विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(28)नविवि / 3 / 96 दिनांक 22.02.2000 के द्वारा माउण्ट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा एवं जैसलमेर की शहरी सीमाओं में आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के नियमन के मामलों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन की शर्त लगायी गयी थी। तदुपरान्त उक्त धारा 90–बी के विलोपित होने के बाद धारा 90–ए के अन्तर्गत बने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 3(2) में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना माउण्ट आबू, जैसलमेर, नाथद्वारा या पुष्कर के नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग के लिये कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त चार शहरों में कच्ची बस्ती नियमन तथा कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ भूमि नियमन के अनेक प्रकरण विचाराधीन है। नगरीय विकास विभाग के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1)मं.मं. / 2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.11 से पुनर्गठित एम्पावर्ड समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 9.11.2012 में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 के दौरान पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर व माउण्ट आबू के नगरीय क्षेत्रों में उक्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

"1. पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर एवं माउण्ट आबू में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत धारा 90बी के अन्तर्गत आदेश जारी हो चुके है तथा मौके पर कॉलोनी बन चुकी है, उनके नियमन की कार्यवाही के लिए स्थानीय निकाय के स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। यह निर्णय उन्हीं भूमियों पर लागू होगा जिनका प्रस्तावित उपयोग मास्टर प्लान में दर्शाये गये उपयोग के अनुरुप है।

2. 17.06.99 से पूर्व एवं पश्चात् की मौके पर विकसित हो गयी आवासीय कॉलोनियों के जिन प्रकरणों में 90बी के अन्तर्गत आदेश जारी नहीं हुए है एवं जिनमें भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्कयता भी है, ऐसे प्रकरणों में 90–ए के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार की पूर्वनुमति आवश्यक होगी।

3. पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर एवं माउंट आबू में कच्ची बस्तियों को पुनर्वासित करने / नियमन के संबंध में स्थानीय निकाय स्तर पर गठित समिति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।"

अतः संबंधित द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)
उप शासन सचिव–द्वितीय

(341)

65

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 20.11.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, अजमेर/जैसलमेर/आबू।
6. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर/अजमेर/उदयपुर।
7. जिला कलेक्टर, सिरोही/राजसमन्द/जैसलमेर एवं अजमेर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, अजमेर/जैसलमेर/आबू।
13. सभापति, नगर परिषद, जैसलमेर, अध्यक्ष, नगर पालिका, पुष्कर, आबू रोड, माउंट आबू एवं नाथद्वारा।
14. आयुक्त, नगर परिषद, जैसलमेर, नगर पालिका, पुष्कर, आबू रोड, माउंट आबू एवं नाथद्वारा।
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव–द्वितीय

1342